आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 266/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2012-13

गुरु नानक देव विद्यक सोसायटी, ईदगाह हिल्स, भोपाल	बनाम	आयकर अधिकारी (एक्जंप्शन) भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.लं.सं.- एएएएजी7155 एम PAN - AAAAG7155M		

अपीलार्थी की ओर से :	कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	08.08.2024
उद्धघोषणा तिथि :	09.08.2024

आदेश

श्री मनीष बोरड लेखा सदस्य द्वारा ,

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.02.2024 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के दौरान मैंने पाया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का परीक्षण किए बिना आक्षेपित

एक पक्षीय आदेश पारित किया था । दूसरी ओर विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के के आदेशों पर निर्भरता रखी ।

3. मैंने मेरे समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । मैंने पाया कि निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष यह दावा किया था कि निर्धारिती संस्था की आय धारा 10(23सी)(iiiad) के अधीन करमुक्त है तथा उसे धारा 147 के अधीन अभिलिखित कारणों की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी । यद्यपि, मैंने पाया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था तथा प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किया था, जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः न्याय के हित में, मैं विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझता हूँ । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 09.08.2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 09.08.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल